

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1011-पीबीआर/2017

जिला राजगढ़

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

फसकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

6.4.2017

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-2-17 की सत्यप्रतिलिपि एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । सीमांकन पंचनामों से आवेदकगण का सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

